न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरूण कुमार हसीजा, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

राजस्व अपील संख्याः 03/2022

दायर दिनांकः 07.03.2022

निर्णय दिनांक 30.01.2026

—: अनवान :—

1. भैरूलाल पिता मोडाजी गुर्जर जाति गुर्जर आयु 68 वर्ष पेशा खेती निवासी गच्छालो का गुड़ा, सुन्दरचा, तहसील व जिला राजसमन्द
2. भंवरलाल पिता मोडाजी गुर्जर जाति गुर्जर आयु 66 वर्ष पेशा खेती निवासी गच्छालो का गुड़ा, सुन्दरचा, तहसील व जिला राजसमन्द
3. छगनलाल पिता मोडाजी गुर्जर जाति गुर्जर आयु 63 वर्ष पेशा खेती निवासी गच्छालो का गुड़ा, सुन्दरचा, तहसील व जिला राजसमन्द

— अपीलान्टगण

बनाम

तहसीलदार राजसमन्द तहसील राजसमन्द जरिये राज्य सरकार

— रेस्पोण्डेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार राजसमन्द प्रकरण संख्या 1649/2021 ना. कब्जा बअनवान पटवार हल्का सुन्दरचा बनाम भैरूलाल व अन्य, निर्णय दिनांक 06.01.2022

उपस्थितः—

1— श्री अतुल पालीवाल, अधिवक्ता अपीलान्टगण

2— राजकीय अधिवक्ता श्री अनिल बागोरा, रेस्पोडेन्ट

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अपील न्यायालय तहसीलदार राजसमन्द के द्वारा प्रकरण संख्या 1649/2021 ना0क0 में पारित आदेश दिनांक 06.01.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विधि का सुस्पष्ट सिद्धान्त हैं कि किसी भी प्रकरण में संबंधित पक्ष को अपना पक्ष रखनें का पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिये, उसके बाद निर्णय करना चाहिये। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को अपना पक्ष रखनें का अवसर नहीं दिया गया, यहां तक कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा की गई समस्त कार्यवाही जो प्रिन्टेड फॉर्मेट में की गई, जिसमें केवल नाम व खसरा संख्या का उल्लेख किया गया, इससे यह पता चलता हैं कि प्रकरण का निस्तारण कैसे किया गया हैं अपीलान्ट के विरूद्ध की गई कार्यवाही गलत हैं। अपीलान्ट की खातेदारी भूमि के समीप कुछ जमीन हैं जो खातेदारी के साथ ही मिली होकर के एक चक हैं, जिस पर वर्षों से खेती होती हैं। अपीलान्ट को उक्त जमीन अपने पिता से

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

विरासत में प्राप्त हुई हैं। उक्त जमीन पर खेत बने हुए हैं, जहां खेती होती हैं, खुला कुआं भी हैं जिससे पिलाई होती हैं। ऐसे में पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट कब बनाई, किस दिनांक को बनाई, यहां तक कि अपीलान्ट की उपस्थिति में या जानकारी में बनाई जाती तो सत्यता रहती परन्तु ऐसा नहीं कर गलत व असत्य रिपोर्ट दी गई। उस असत्य रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर दिनांक 06.01.2022 को प्रथम पेशी दी गई, जहां पर अपीलान्ट के द्वारा निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में साक्ष्य, सबुत, दस्तावेज पेश करनें का अवसर दिया जाय, तब यहीं कहा गया कि राजसमन्द तहसील में आकर पता कर लेना। अपीलान्ट को दिनांक 10.01.2022 को प्रकरण में फैसले का पता चला कि प्रकरण में फैसला कर दिया हैं अपीलान्ट आज भी अपनी जमीन पर काबिज हैं, जमीन का उपयोग उपभोग कर रहे हैं। जबकि निर्णय में यह दर्शित किया कि दिनांक 06.01.2022 को बेदखल कर दिये गये, जो कैसे व कब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक हीं दिन को सुनवाई करना, निर्णय करना एवं बेदखली करना विधिक रूप से भी गलत हैं। कि किसी भी निर्णय की पालना निर्णय की अपील की मयाद के पश्चात होनी होती हैं, यहीं विधि का सिद्धान्त हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने कुछ असामाजिक तत्व एवं राजनैतिक विरोधी लोगो के दबाव में या उनके प्रभाव में आकर उक्त निर्णय किया गया प्रतीत होता हैं। जो निर्णय किया गया वह सरासर गलत हैं, जिसे निरस्त किया जाकर प्रकरण को पुनः अधीनस्थ न्यायालय में भेजकर विधिक रूप से अपीलान्ट को अपना पक्ष रखनें के पश्चात निर्णय करे का आदेश प्रदान करावे। वादग्रस्त जमीन जो खातेदारी जमीन के साथ एक चक हैं जो अपीलान्ट को अपने पुर्वाधिकारी से विरासत में प्राप्त हुई हैं। अपीलान्ट अपनी समझ से हीं उक्त जमीन का उपयोग उपभोग करता आ रहा हैं। उक्त भूमि पर अपीलान्ट का 50 वर्षों से भी ज्यादा समय से कब्जा आधिपत्य हैं जो कब्जा मुखालफना हो चुका हैं। अपीलान्ट खेती करते हैं। वादग्रस्त जमीन के कब्जे मुखालफना के आधार पर अपीलान्ट द्वारा सक्षम न्यायालय में घोषणा एवं निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत हैं जो न्यायालय में विचाराधीन हैं। वादग्रस्त जमीन के कुछ भाग पर अपीलान्ट का बाड़ा हैं, जिसमें मवेशियों को रखनें, घास फुस रखनें, खेती के सामान, औजार, लकड़िया आदि के उपयोग उपभोग के लिये बाड़ा वर्षों से बना हुआ हैं, जो सिविल प्रकृत का हैं। कुछ लोगो द्वारा जबरन बाड़े से बेदखल करनें के लिये तोड़फोड़ पर आमादा होने से सिविल न्यायालय राजसमन्द में निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत हैं जो न्यायालय में विचाराधीन हैं। उक्त तमाम तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के ध्यान में लाये जाने के बाद भी उक्त निर्णय किया, जिससे दुखी व व्यथित होकर के यह अपील प्रस्तुत की जा रही हैं। अतः प्रार्थना हैं कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 06.01.2022 को निरस्त कर पुनः अधीनस्थ न्यायालय को रिमान्ड की जावे, साथ हीं यह भी आदेश प्रदान करावें कि अपीलान्ट को साक्ष्य, सबुत, दस्तावेज पेश करनें का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित करें।

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री अनिल बागोरा ने उपस्थिति दी तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजसमन्द से पत्रावली तलब की गई।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

अधिवक्ता अपीलान्ट व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए मुख्यतः यह कथन किया कि किसी भी प्रकरण में संबंधित पक्ष को अपना पक्ष रखनें का पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिये, उसके बाद निर्णय करना चाहिये। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को अपना पक्ष रखनें का अवसर नहीं दिया गया, यहां तक कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा की गई समस्त कार्यवाही जो प्रिन्टेड फॉर्मेट में की गई, जिसमें केवल नाम व खसरा संख्या का उल्लेख किया गया, इससे यह पता चलता हैं कि प्रकरण का निस्तारण कैसे किया गया हैं अपीलान्ट के विरूद्ध की गई कार्यवाही गलत हैं। अपीलान्ट की खातेदारी भूमि के समीप कुछ जमीन हैं जो खातेदारी के साथ ही मिली होकर के एक चक हैं, जिस पर वर्षो से खेती होती हैं। अपीलान्ट को उक्त जमीन अपने पिता से विरासत में प्राप्त हुई हैं। उक्त जमीन पर खेत बने हुए हैं, जहां खेती होती हैं, खुला कुआं भी हैं जिससे पिलाई होती हैं। ऐसे में पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट कब बनाई, किस दिनांक को बनाई, यहां तक कि अपीलान्ट की उपस्थिति में या जानकारी में बनाई जाती तो सत्यता रहती परन्तु ऐसा नहीं कर गलत व असत्य रिपोर्ट दी गई। उस असत्य रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर दिनांक 06.01.2022 को प्रथम पेशी दी गई, जहां पर अपीलान्ट के द्वारा निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में साक्ष्य, सबुत, दस्तावेज पेश करनें का अवसर दिया जाय, तब यहीं कहा गया कि राजसमन्द तहसील में आकर पता कर लेना। अपीलान्ट को दिनांक 10.01.2022 को प्रकरण में फैसले का पता चला कि प्रकरण में फैसला कर दिया हैं अपीलान्ट आज भी अपनी जमीन पर काबिज हैं, जमीन का उपयोग उपभोग कर रहे हैं। जबकि निर्णय में यह दर्शित किया कि दिनांक 06.01.2022 को बेदखल कर दिये गये, जो कैसे व कब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक हीं दिन को सुनवाई करना, निर्णय करना एवं बेदखली करना विधिक रूप से भी गलत हैं। कि किसी भी निर्णय की पालना निर्णय की अपील की मयाद के पश्चात होनी होती हैं, यहीं विधि का सिद्धान्त हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने कुछ असामाजिक तत्व एवं राजनैतिक विरोधी लोगो के दबाव में या उनके प्रभाव में आकर उक्त निर्णय किया गया प्रतीत होता हैं। जो निर्णय किया गया वह सरासर गलत हैं, जिसे निरस्त किया जाकर प्रकरण को पुनः अधीनस्थ न्यायालय में भेजकर विधिक रूप से अपीलान्ट को अपना पक्ष रखनें के पश्चात निर्णय करे का आदेश प्रदान करावे। अतः प्रार्थना हैं कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 06.01.2022 को निरस्त किया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसम्मत व नियमानुसार है। चारागाह भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही की गयी है। अतः अपील आधारहीन होने से सव्यय खारिज फरमायी जावें।

मैंने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गहन मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। इस पत्रावली में प्रार्थीगण श्री भैरूलाल के चारागाह भूमि पर कब्जा होने के संबंध में रिपोर्ट पटवारी द्वारा प्रस्तुत किया जाना पाया जाता है। जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजसमन्द द्वारा नोटिस दिनांक 06.12.2021 को जारी किया जाता है जिसकी तामील होना भी इसमें जाहिर होता है और अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न कार्यवाही विवरण से यह जाहिर हुआ कि बाद नोटिस भी अप्रार्थी न्यायालय में उपस्थित

नहीं हुआ। वादग्रस्त भूमि चारागाह होकर प्रार्थी का इस पर अतिक्रमण था और उस अतिक्रमण को बदेखल किये जाने के लिए तहसीलदार द्वारा दिनांक 06.12.2021 को नोटिस जारी किया गया। इस अपील में अपीलान्ट द्वारा इस बात को कही भी विवेचित नहीं किया गया है कि भूमि चारागाह है अथवा नहीं है अर्थात् अपीलान्ट की अपील से ही यह जाहिर हो गया कि भूमि चारागाह है तथा उसने उस पर बाड़ा बना रखा है। चारागाह भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण किया जाना तथा उसका व्यक्तिगत उपयोग किया जाना पूर्णतः निषिद्ध है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी इस संबंध में कई स्पष्ट निर्णय पूर्व में ही किये गये है।

अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजसमन्द द्वारा चरनोट भूमि में से कब्जा हटाने के लिए जो कार्यवाही की गयी है उसमें मै, किसी प्रकार की त्रुटि नहीं मानता हूँ। साथ ही वक्त बहस अधिवक्ता अपीलांट को इस न्यायालय में यह भी कहा गया कि इस संबंध में आप कुछ अन्य तथ्य पेश करना चाहते है तो पेश करे। तब भी अधिवक्ता अपीलान्ट का यह कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रक्रियात्मक त्रुटि की गयी है अतः उनके आदेश को निरस्त किया जाए। जिससे यहां यह साबित हो चुका है कि प्रार्थी/अपीलान्ट चारागाह भूमि का अतिक्रमी है। और चारागाह भूमि पर अतिक्रमण को नियमन किया जाना या अनुमत किया जाना विधि विरूद्ध है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजसमन्द के प्रकरण संख्या 1649/2021 में पारित निर्णय दिनांक 06.01.2022 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय की प्रति तहसीलदार राजसमन्द को लौटायी जावे।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 30.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)